न्यायालय ए0सी0जे0एम0/पंचम अपर सीनियर सिविल जज, देहरादून।
फौजदारी वाद संख्या– 5511/2025
राज्य बनाम कमल सिंह भण्डारी।

मु0अ0स0–111/2024
अन्तर्गत धारा–323,504,506 भा0द0सं0
थाना नेहरू कालोनी, देहरादून।

सहायक अभियोजन अधिकारी– सुश्री फोजिया बेगम
अभियुक्त विद्वान अधिवक्ता– श्री शेर बहादुर।

दिनांक–01.04.2026

प्रार्थी/अभियुक्त कमल सिंह भण्डारी वाद सं 5511/2025 अन्तर्गत धारा–323,504,506 भा0द0सं0 थाना नेहरू कालोनी, देहरादून के मामले में आत्मसमर्पण कर औपचारिक न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व में कोई सजायाफ्ता नहीं है और न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त पते का स्थाई निवासी है। अभियुक्त को दौराने वाद, विचारण जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

3. सहायक विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया।

4. जमानत प्रार्थना–पत्र पर विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के साथ मारपीट, गाली–गलौच व जान से मारने की धमकी देने का अभियोग है। प्रस्तुत मामलें में अभियुक्त को आत्मसमर्पण करने पर न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है। विवेचक द्वारा अभियुक्त को दौराने विवेचना धारा 41क के नोटिस पर छोड़ा गया था। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ऐसी स्थिति में गुणदोष पर राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त कमल सिंह भण्डारी का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 30,000/–रूपये (तीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानती दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(अमित कुमार)
ए0सी0जे0एम0/
पंचम अपर सिविल जज, सी0डी0,
देहरादून

दिनांक–01.04.2026